न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 41/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/396

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
रामाराम पुत्र श्री मोडारामजी, जाति-भाम्बी, निवासी बींजा, तहसील रोहट, जिला पाली राजस्थान		तहसीलदार रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली राजस्थान

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल चौधरी
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 24.05.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2021 बअनवान सरकार बनाम रामाराम में पारित आदेश दिनांक 26.11..2021 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि सरहद मौजा ग्राम बींजा के राजकीय खसरा संख्या 195 रकबा 0.10 बीघा, किस्म गैर मुमकिन पशुताल की भूमि है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा होने से तहसीलदार रोहट द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 27.10. 2021 से पूर्व उक्त भूमि को खाली करने हेतु दिया गया। तहसीलदार रोहट ने अपीलान्ट को राजकीय गैर मुमकिन पशुताल पर बार-बार अतिक्रमण करने पर वास्तविक लगान का 50 गुणा जुर्माना आरोपित करते हुए तीन माह की सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 26.11.2021 को पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार रोहट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध 91 की कार्यवाही करते हुए नोटिस दिये थे जो अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुए थे बावजूद इसके अपीलान्ट को बिना सुने बिना जवाब लिये बिना साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। ग्राम बींजा के खसरा संख्या 195, रकबा 0.10 बीघा किस गैर मुमकिन पशुताल पर अपीलान्ट द्वारा कभी कब्जा नहीं किया गया तथा वर्तमान में अपीलान्ट का बाड़े के रूप में उक्त जैर अपील आराजी पर कब्जा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण है इस बाबत् अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर से अपना अतिक्रमण हटाने व भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार रोहट द्वारा पारित जैर अपील आदेश को निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी थी यह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 27.10. 2021 पर उसके पुत्र के हस्ताक्षर तथा दिनांक 26.11.2021 की आदेशिका पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर से स्पष्ट है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर पश्चातवृति अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का बींजा व भू-अभिलेख निरीक्षक वायद की तहसीलदार रोहट के समक्ष प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली संलग्न दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा कब्जा हटा दिया गया है जिसका सरकारी पैरोकार ने भी किसी प्रकार की आपत्ति एवं खण्डन नहीं किया है एवं भविष्य में कब्जा करने की पुनरावृति न करने के संबंध में अपीलान्ट ने न्यायालय में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील प्रकरण संख्या 02 / 2021 आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को सख्त हिदायत दी जाती है कि भविष्य में अपीलाधीन भूमि व अन्य राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे एवं यदि अतिक्रमण करते पाये गये तो सख्त कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

निर्णय आज दिनांक 24/5/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली